

State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand -1, Gomtinagar, Lucknow-226010.
Ph: 91-522-2300541, Fax: 91-522-2300543
email: doeuplko@yahoo.com

Ref.: 1651 /92/SEAC/08 / 7

Date: 15.12.2008

To,

Mr. N. Datta Gupta,
Addl. General Manager- Environment,
Unitech Hi-Tech Developers Ltd.,
Unitech House, South City, -1, GurGaon-122001.

Sub: Regarding Environmental Clearance proposed Unitech Info Park, IT SEZ, Plot No. 20-21, Sector-135, Noida.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. Env/UL/MOEF/SVDL/IT-SEZ-Noida/F-1&1A/270307 dated 13-4-2007 addressed to the Additional Director, Ministry of Environment and Forests, New Delhi, Government of India on the subject as above. In view of the Gazette Notification No. S.O.1533(E) dated 14-9-2006 issued by the Government of India your application has been received by the State Level Expert Committee for necessary action. The State Level Expert Committee has considered your application and has been given to understand that :

1. The Environmental Clearance is sought for proposed Unitech Info Park, IT SEZ, Plot No. 20-21, Sector-135, Noida.
2. The total plot area 1,20,000.00 sq.mt. and total built up area is 234879.91Sq. mt.
3. The project is covered under screening category "8b"

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee on the aforesaid project the State Level Environment Impact Assessment Authority (meeting held on 23-8-2008) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subjected to the effective implementation of the following conditions: -

a. General Conditions :

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured that obtain the No Objection Certificate from the U.P. Pollution Control Board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity with out the prior environmental clearance.
4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
5. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.

IT SEZ, Unitech Info Park, of M/s Seaview Developers Plot No. 20-21, Sector-135, Noida.

11. Obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
14. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
24. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
26. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
27. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
28. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
29. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.

IT SEZ, Unitech Info Park, of M/s Seaview Developers Plot No. 20-21, Sector-135, Noida.

32. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. Prepare and present disaster management plan.
34. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
35. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
36. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
37. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
38. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
39. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
40. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
41. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
42. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority of
43. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
44. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
45. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
46. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
47. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.
48. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
49. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
50. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
51. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
52. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
53. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.

IT SEZ, Unitech Info Park, of M/s Seaview Developers Plot No. 20-21, Sector-135, Noida.

54. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
55. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
56. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
57. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
58. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.

b. Specific Conditions:

1. Specific information regarding type of offices to be opened up in this building should be provided.
2. Clearance from the UPPCB should be taken regarding the establishment for STP, Solid Hazardous Waste disposal, E-waste, Domestic waste etc.
3. 33% green belt area of the total premises should be taken into consideration.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. Failing this the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.

Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity. In the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006 and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.


(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary, SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomtinagar, Lucknow.
5. Administrative Officer, Directorate of Environment for monitoring & Web Updation.


(Dr. Yashpal Singh)
Secretary, SEAC and
Director, Environment Directorate, Govt. of U.P.

SEAVIEW DEVELOPERS LIMITED

Regd. Off.: C-42, Mayfair Garden, New Delhi- 110016 ph. 011-26561313

Ref: CR /MoEF-CR/ Info Park/Compliance/3005/2014

To,
The Director,
Regional Office (Central Region),
Ministry of Environment & Forests,
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H
Aliganj, Lucknow-226024

Date: 30/05/2014

The Member Secretary,
SEIAA/U.P, Pollution Control Board
3rd Floor, PICUP Bhawan
Gomti Nagar, Luck now 226010.

The Secretary, SEAC
Directorate of Environment,
U.P. Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar,
Vineet Khand-1, Gomati Nagar Lucknow 226010.

Ref: EC letter no. 1651/92/SEAC/08/7 dated 15.10.2008

Subject: Submission of 11th Six Monthly EC Compliance Report along with environmental monitoring report (with soft copy in CD) for our IT SEZ project "Unitech Info Park" at, Plot No. 20-21 Sector-135, Noida. Developed by **Seaview Developers Limited**.

Dear Sir,

This is with reference to point of the General condition of Environmental Clearance (EC) letter no. **1651/92/SEAC/08/7 dated 15.10.2008** received from SEIAA, U.P. Please find enclosed the 11th six monthly EC Compliance Report along with Environmental Monitoring report (with soft copy in CD) for the above said project

Hope, you will find the EC Compliance Report in order and it will help to assess the point wise implementation status of environmental safeguard measures for the above said project.

Thanking you in anticipation,

Yours truly,

For Seaview Developers Limited



Authorized Signatory

Enclosed: EC Compliance Report along with all relevant annexure (with Soft copy in CD)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा

संदर्भ सं० 3408/N.O.C-115/06

दिनांक 23/12/06

सेवा मे,

मे० सी० व्ही० डेवलपर्स लि०,

सी-४२, मेकेंजर गार्डन,

नई दिल्ली।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन :

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक १८.११.२००६ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

1- अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल : प्लॉट नं. २०, २१, सेक्टर-१३, नोएडा, ग्रेड १, नोएडा नगर
ई-१२१, सेक्टर-१, नोएडा

(ख) उत्पादन : आई. टी. प्रोजेक्ट

(ग) मुख्य कच्चे माल : बिल्डिंग मेटिरियल्स

(घ) औद्योगिक उत्प्रावह की मात्रा : शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईधन : डीजल- डी. जे. सेट हेतु

(ग) मुख्य कच्चे माल :

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 2- उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र हरित पट्टिका, उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निम्नतर प्रेषित करें।
- 3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा करा दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती हैं।
- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा ८.३५ कि.ली./दिन से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

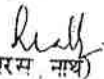
6- प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक २५.१.२००७ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मैसर्स सी व्यू डेवलपर्स लि० द्वारा प्लॉट संख्या २०, २१, सेक्टर-३५, नोएडा में केवल आई.टी.पार्क का निर्माण किया जायेगा इस हेतु प्रस्तावानुसार कुल क्षेत्र एवं बिल्टअप क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा।
८. उद्योग प्रस्तावानुसार एस.टी.पी. का निर्माण डिश इन्फेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने से पूर्व करें तथा यथा सम्भव शुद्धिकृत उत्प्रेषण का अधिकाधिक प्रयोग ग्रीन बेल्ट एवं बागवानी में किया जाये।
९. स्थापित एस.टी.पी. के नियमित संचालन के दृष्टिगत पृथक रूप से डी.जी.सेट स्थापित किया जाये तथा उक्त हेतु पृथक रूप से इनर्जी मीटर स्थापित किया जाये।
१०. ठोस अपशिष्ट का निस्तारण प्रस्तावानुसार किया जाये तथा बायोडिग्रेबुल वेस्ट के लिये वर्मी कल्चर किया जाये।
११. उद्योग में १२५० के.वी.ए.के ६, १०१० के.वी.ए.के ३ एवं ७५० के.वी.ए.के २ डी.जी.सेटों के ऐग्रेसिव के टाप पर बोर्ड मानकों के अनुरूप ऊँचाई की चिमनी स्थापित की जायेगी तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एकास्टिक इन्क्लोजर व कम्पनरोधी रबड पैड स्थापित किये जाये।
१२. शासनादेश के अनुरूप कम से कम ३३ प्रतिशत भाग पर ऊँचे घने प्रदूषणरोधी किस्म के वृक्षों की हरित पट्टिका विकसित की जाये।
१३. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) अधिनियम १९८९ का अनुपालन किया जाये।
१४. एस.टी.पी. से जनित होने वाले स्लज को खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाये।
१५. परिसर से बायो मेडिकल वेस्ट जनित नहीं होगा और न ही परिसर के अन्दर अस्पताल स्थापित किया जायेगा।
१६. रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जायेगी तथा भू जल मापन हेतु पीजे मीटर स्थापित किया जाये।
१७. भारत सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण, नई दिल्ली तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।


उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा

कृपया ध्यान दें कि उपयुक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपयुक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक २५.१.२००७ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय


(परम, मार्ग)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-12/1, सेक्टर-1, गोरखपुर

पृष्ठांकन सं०

/एन०ओ०सी०

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1- मुख्य पर्यावरण अभियन्ता वृत्त-१, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"पिकप भवन" तृतीय तल, बी ब्लॉक, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

2- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

/सी-1/एन/वायु सहमति/910/2014

दिनांक

सेवा में,

मैसर्स "Unitech Infopark IT SEZ"

द्वारा - मै0 सीव्यू डेवलपर्स लि0,

प्लॉट नं0- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135,

नोएडा।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक- 05/12/2013 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सहमति आदेश संख्या.....⁹¹⁰.....सहमति (वायु) आदेश /^{137/14}..... दिनांक-^{26/5/14}..... को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं संख्या-1,4,6,7,8,10,12 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिया जाता है :-

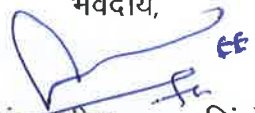
1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2.के.वी.ए. क्षमता के डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से..
.....मीटर ऊँची की जाय।
3. प्लू गैस उत्सर्जन तथा वायु गुणता संबंधी अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे एकाउस्टिक इनक्लोजर का प्राविधान संचालन एवम् रख-रखाव इस प्रकार किया जाये, सिसे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता संबंधी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
12. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

(यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(इ० सुनील कुमार सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1)

संदर्भ संख्या—

/वायु प्रदूषण/

तद दिनांक—

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी) उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 910 / सी-1/सहमति (वायु) आदेश/137/2014 लखनऊ, दिनांक- 26/11/14

विषय : मैसर्स "Unitech Infopark IT SEZ", द्वारा - मै0 सीव्यू डेवलपर्स लि0, प्लॉट नं.- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135, नोएडा को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या-

दिनांक 05.12.13

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मैसर्स "Unitech Infopark IT SEZ", द्वारा - मै0 सीव्यू डेवलपर्स लि0, प्लॉट नं.- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135, नोएडा को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक- 01/01/2014 से दिनांक-31/12/2015 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।

(यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-1)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्तें)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

सम्बद्ध चिमनी

1500 के०वी०ए० के 06 एवं 750 के०वी०ए० का 01 डी०जी० सेट बोर्ड मानकों के अनुरूप
(Acoustic duct),

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो ।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	150	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मीटर क्यूबिक मीटर
(ii)	मैटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	—	—
(iii)	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	—	—
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	—	(पी०सी०एम०)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	—	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—	—
(vii)	अमोनिया	—	—
(viii)	फ्लोरीन	—	—
(ix)	मरकैप्टेन	—	—
(x)		—	—

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो ।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्तस्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाये।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

मैसर्स "Unitech Infopark IT SEZ", द्वारा - मै0 सीब्यू डेवलपर्स लि0, प्लॉट नं.- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135, नोएडा

15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

(यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या

FP43475 / सी-1/सहमति जल/1015/2014

दिनांक

26-5-14

सेवा में,

मैसर्स "Unitech Infopark IT SEZ"

द्वारा - मै0 सीव्यू डेवलपर्स लि0,

प्लॉट नं0- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135,

नोएडा।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्र प्राप्ति दिनांक- 05/12/2013 के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-130/14 दिनांक-26/5/14 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या-1, 2, 4, 6 से 10 तक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

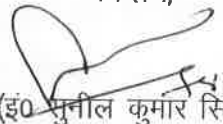
- 1 सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 2 जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
- 3 उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
- 4 घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- 5 आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष, 2012-13 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

- 6 यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रावाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रावाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
- 7 कृपया स्थापित उत्प्रावाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रावाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुरूप हो।
- 8 कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
- 9 उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
- 10 उत्प्रावाह शुद्धिकरण संयंत्र के आऊटलेट पर उत्प्रावाह की मात्रा का मापन करें तथा फ्लो मेजरिंग डिवाइस स्थापित करें।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

(यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

 (ड० अनिल कुमार सिंह)
 मुख्य पर्यावरण अभियंता (वृत्त-1)

पृष्ठ संख्या-

तद दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियंता (वृत्त-1)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या

1015/सी-1/सहमति जल-131/2014

लखनऊ, दिनांक- 26/5/14

विषय : मैसर्स "Unitech Infopark IT SEZ", द्वारा - मै0 सीव्यू डेवलपर्स लि0, प्लॉट नं0- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135, नोएडा को जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत उत्प्रावह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या-

प्राप्ति दिनांक : 05.12.13

1. जल राशि का सीवन में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 "Unitech Infopark IT SEZ", द्वारा - मै0 सीव्यू डेवलपर्स लि0, प्लॉट नं0- 20 एण्ड 21, सेक्टर-135, नोएडा को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/ औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि परनिस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित समान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक- 01/01/2014 से दिनांक-31/12/2015 की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

(यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।)


मुख्य पर्यावरण अभियंता (वृत्त-1)

अनुलग्नक : संलग्नक ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति

दिनांक.....

सहमति शर्तें

- | अधिकतम दैनिक उत्प्रावह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रावह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए । | उत्प्रावह का प्रकार | अधिकतम दैनिक निस्तारण मी | अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| (i) घरेलू— | 240.0 कि०ली०/दिन | 240 KLD | |
| (ii) औद्योगिक— | शून्य | | |
| (अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित— | | | |
| (ब) शीतलन जल— | | | |
| <p>ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रावह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोरे टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रावह मापन तथा उत्प्रावह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रावह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रावह के अलावा अन्य कोई उत्प्रावह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रावह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।</p> | | | |
| 3. घरेलू उत्प्रावह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रावह निम्न मानकों के अनुरूप हो। | 20 से० पर 5 दिन की बी०ओ०डी० न हो | 30 मिग्रा/ली० से अधिक | 100 मिग्रा०/ली० |
| <p>कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो</p> | | | |
| <p>सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रावह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रावह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रावह सहित औद्योगिक उत्प्रावह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रावह बोर्ड द्वारा सं-173/37/83/19/ए आर ए दिनांक-06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।</p> | | | |
| <p>अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> | | | |
| <p>घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रावह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।</p> | | | |
| <p>विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।</p> | | | |

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंकीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।
9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनोंक— या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8 व 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

मै0 "Unitech Infopark IT SEZ", द्वारा मै0 सीब्यू डेवलपर्स लि0, प्लॉट नं. 20 एण्ड 21, सेक्टर-135, नोएडा

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रावह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रावह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रावह की गुणता व मात्रा, उत्प्रावह निस्तारण की दर, उत्प्रावह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रावह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
(यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)